COURT FEE
5 Rs. भारत पाँच FIVE
1 Re. भारत एक ONE
1 Re. COURT भारत एक रुपया ONE RUPEE
50 P. COURT FEE भारत INDIA ५० पैसे 50 PAISE

(50)

नि/ 97-III/ 57

C.F.Rs. 7.50

R. 1824-III/03

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० १६७ पुनरीक्षण

१- श्यामलाल पुत्र लखपति पटेल
२- मनबहोर पुत्र वंशपति
निवासीगण ग्राम बहामरिया तहसील चुरहट
जिला सीधी ------- आवेदकगण

विरुद्ध

१- सविता
२- निदरी
३- चौरसिया
४- शीतली
५- सत्य नारायण
} पुत्रियां एवं पुत्र चंद्रभान पटेल

६- रामसुन्दर
७- रामगरीब
} पुत्रगण बैजनाथ पटेल

८- शेषमणि तनय हरिनाथ पटेल
९- शिवनाथ तनय छोटू पटेल

१०- रामधनी
११- रामाधार
} पुत्रगण परमदीन पटेल

-- मुख्य अनावेदकगण

१२- रामसिया पुत्र लखपति
१३- फग्गे पुत्र वंहपति
१४- वोडई पुत्र बल्देव
१५- सदाशिव पुत्र लालू
१६- हीरालाल पुत्र रामकृपाल--औपचारिक अनावेदकगण
सभी निवासीगण ग्राम बहामरिया तहसील चुरहट
जिला सीधी (म०प्र०)

क्रमांक 132-III
श्री [illegible] द्वारा आज दिनांक 20.3.97
को प्रस्तुत [signature] 20.3.97
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

[signature] 20-3-96

अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा प्र०क्र० ८१।९२-९३ अपील में पारित आदेश दिनांक १७-१-९७ के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९.

--- २

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1824–तीन/03 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
06–11–17	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 81/92–93/अपील में पारित आदेश दिनांक 17.1.97 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 14.7.92 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की उनके द्वारा दिनांक 31.10.92 को तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 17.1.97 को प्रकरण तहसीलदार चुरहट को प्रत्यावर्तित किया इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। 4 प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आवेदक का दखंल भूमि पर कब्जा दखल नहीं है। लेकिन अभिलेख के परीक्षण से यह	

समवर्ती निष्कर्ष प्रतीत हो रहा हैं आवेदकों ने तहसीलदार के न्यायालय में जो आवेदन पेश किया था उसमें उन्होंने यह सहायता चाही थी कि पक्षकरों के बीच पूर्व में बटंवारा हो चुका है एवं उसी अनुसार से काबिज दखिल है। अतएव उनका कब्जा लिखा जावे। इसका आश्य अपर आयुक्त द्वारा यह निकाला गया है कि आवेदक यह चाहता है कि आपसी विभाजन के आधार पर विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त हो गया है। इस कारण उनका नाम बटवारा में प्राप्त भूमि का नामांतरण किया जाय। तदनुसार खसरा दुरूस्ती किया जाय। आवेदक में धारा लिखना अथवा गलत धारा लिख देना कोई आवेदन अन्तिम आवेदन नहीं हो जाता है। जबतक कि पक्षकार को न्यायदान नहीं मिले। अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त इसलिय किये गये है कि उनके द्वारा खसरा सुधार का प्रकरण माना गया है। अतः अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने योग्य समझता हूँ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 81/92–93/अपील में पारित आदेश दिनांक 17.1.97 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य